



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/172

केका.डीपीएसएस.ओडीडी.सं.एस 1074/06-08-024/2025-2026

01 जनवरी, 2026

सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत(पीपीआई) जारीकर्ता

महोदया/प्रिय महोदय,

विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति

भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस, अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित विवरणियों की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:

क्रम सं.	विवरणी का नाम	विवरणी कोड	आवृत्ति
1	पीपीआई सांख्यिकी	आर 100	मासिक
2	पीपीआई ग्राहक शिकायतें	आर 360	तिमाही

2. इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि दिसंबर 2025 से आगे की रिपोर्टिंग अवधि के लिए पीपीआई सांख्यिकी विवरणी और दिसंबर 2025 से आगे की रिपोर्टिंग तिमाही के लिए पीपीआई ग्राहक शिकायत विवरणी, सीआईएमएस पोर्टल (<https://cims.rbi.org.in/#/login>) पर रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।

3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं को बनाया गया है। इन दो विवरणियों को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्र उनकी संबंधित संस्था के प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए जाने चाहिए।

4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने की विवरणी अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (अर्थात् दिसंबर 2025 की रिपोर्ट 7 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए)। इसके अलावा, प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी अगले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए (अर्थात् दिसंबर 2025 तिमाही के लिए रिटर्न 10 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)

मुख्य महाप्रबंधक

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400 001
फोन: (91-22) 2264 4995, फैक्स: (91-22) 2265 9566, 2269 1557, ई-मेल: cgmfpssco@rbi.org.in

Department of Payment and settlement Systems, Central Office, 14th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400 001.

Phone: (91-22) 2264 4995, Fax: (91-22) 2265 9566, 2269 1557, Email: cgmfpssco@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए